

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## ::कार्यालय आदेशः

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/गा/संस्था/सी-1/रजीगृ/स्थानान्तरण-पदस्थापन /2022 दिनांक: 06.09.2022 द्वारा मुकेश कुमार मीणा व्याख्याता रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राजमावि, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर से राजमावि, मोर टोंक किया गया तत्पश्चात् संशोधित आदेश दिनांक 10.10.2022 द्वारा इनका स्थानान्तरण राजमावि मोर टोंक से राजमावि कुस्तला, सवाईमाधोपुर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध मुकेश कुमार मीणा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4595/2022 मुकेश कुमार मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4595/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 01.11.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन को निरस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी मुकेश कुमार मीणा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के दांये पैर से पोलियो ग्रस्त होने, स्वयं की पत्नी के नागौर जिले में पदस्थापित होने, स्वयं के छोटे भाई के दिव्यांग होने तथा अपनी बेटी व बेटे तथा वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी स्वयं पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राजमावि चौथ का बरवाड़ा में यथावत किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(30) शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 14.07.2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों जो कि पूर्व के सभी दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए हैं, के अनुसार विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से पीड़ित कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। जहां तक अपीलार्थी के दांये पैर से पोलियोग्रस्त दिव्यांग होने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त दिशा निर्देशों में दोनों पैरों से दिव्यांग कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

अपीलार्थी का स्थानान्तरण सवाईमाधोपुर जिले में ही किया गया है किसी अन्य जिले में नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एस.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि "So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rules." अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। आरएसआर के नियम-20 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी का पदस्थापन/स्थानान्तरण प्रशासनिक एवं जनिहित कारणों से किया जा सकता है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने एवं इच्छित विद्यालय में व्याख्याता रसायन विज्ञान का पद रिक्त नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निरस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होयें।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/मुकेश कुमार मीणा/4595/को.के./2022 दिनांक:- 14.02.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) जयपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या) माध्यमिक।
7. रटॉफ आफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
8. विधि अनुभाग/सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
9. संबंधित संस्था प्रधान।
10. संबंधित कार्मिक।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)